

अनिल कुमार वगै० बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी अध्या 111, 128 एलआरएक्ट

मु०नं० 53/2023

आदेश

दिनांक - 11.10.2023 पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। बार-बार आवाज लगवाये जाने पर भी अप्रार्थी की ओर से ना तो कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ एवं ना ही स्वयं हाजिर आये अतः अप्रार्थी के खिलाफ एक पक्षीये कार्यवाही अमल में लायी गई। वकील प्रार्थी उपस्थित एवं वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पर बहस की गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर फर्द सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवायी जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। जिसके मुताबिक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा एलआरएक्ट धारा 111 सहपठित धारा 128 (पत्थरगढ़ी) स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार लालानी को आदेशित किया जाता है कि वे स्वयं मौके पर जाकर पक्षकारान की मौजूदगी में वादित भूमि ख० न० 356 रकबा 0.08 है० एवं ख०न० 776/319 रकबा 3.96 है० कुल किता कुल रकबा 4.04 है० वाके सरहद ग्राम लाडून्दा पटवार हल्का दुदवा की मुताबिक फर्द सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 17.05.2023 पटवारी हल्का के मुताबिक पत्थरगढ़ी किया जाना सुनिश्चित करें। फर्द सीमाज्ञान की प्रति संलग्न कर भिजवाई जावें। तहसीलदार को तहरीर जारी हो। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।


उपखण्ड अधिकारी (RAS) गढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़